E Mail I.D.:- cfgarhwalp@gmail.comcfgarhwal555@gmail.com , Phone & Fax :- 01368-222566

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

पत्रांकः— 474 /12-1 **, दिनांक, पौड़ी, अगस्त,** 25 **2025.**

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः— **जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अरकनी—खन्दुखाल— मुछयाली मोटर मार्ग के किमी0 8.00 से मटाखोली से कोल्टा—मुछियाली होते हुए ग्राम उतरासू—देवलगांव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.435 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।**
प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/11811/2015

संदर्भः— **भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक 8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 08 / 2016 / एफ0सी0 दिनांक 18.07.2025**

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा चाही गई सूचना का उत्तरालेख प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, पौड़ी द्वारा अपने पत्रांक 296 / 12—1 दिनांक 13.08.2025 से निम्नप्रकार प्रेषित किया गया है—

<u>भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा चाही गई सूचना</u>— **The DFO concerned shall do the inspection of the alignment and submit a detailed report that work has been carried out as per the approved alignment.**

<u>उत्तरालेख</u>— प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा दिनांक 08—08—2025 को संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया। उक्त मोटर मार्ग का प्रस्ताव सिविल एंव सोयम वन प्रभाग, पौड़ी को प्रस्तुत किया गया था तथा मार्ग निर्माण में बाधित वृक्षों का छपान तथा पातन कार्य गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी द्वारा करवाया गया। तत्समय छपान तथा पातन के दौरान उपस्थित अनुभाग अधिकारी श्री अरविन्द को जांच में सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त निरीक्षण के दौरान प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, पौड़ी के साथ श्रीमती राखी जुयाल, उप प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, पौड़ी एवं श्री अरविन्द वन दरोगा, इ0 रीना नेगी, अधिशासी अभियन्ता, इ0 किशोर कुमार, सहायक अभियन्ता, इ0 किरन देवी, कनिष्ठ अभियन्ता एवं वेद प्रकाश, अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 पौड़ी भी उपस्थित थे। निरीक्षण के पूर्व प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, पौड़ी द्वारा प्रस्तावित समरेखण की के0एम0एल0 तथा मोटर मार्ग की अद्यतन स्थिति परिवेश पोर्टल के माध्यम से देखी गयी, जिससे स्पष्ट है कि मार्ग निर्माण प्रस्ताव में दर्शित समरेखण (के0एम0एल0) के अनुसार नहीं हुआ है। साथ ही प्रस्ताव में दर्शित समरेखण में बाधित वृक्षों की संख्या 50 है जिसमें मुख्यतः चीड़ प्रजाति के 24 वृक्ष तथा हल्दू, जामुन, रोहणी, भीमल, सांदण, शीशम, तुन तथा अमलतास प्रजाति के 26 वृक्षों का उल्लेख था। स्थलीय निरीक्षण के दौरान क्षेत्र में उपरोक्त प्रजाति के ही वृक्ष पाये गये एवं चीड़ प्रजाति के छपे वृक्षों की ठूँठ पायी गयी। जांच के दौरान पाया गया कि मार्ग निर्माण का प्रारम्भिक तथा अन्तिम बिन्दु प्रस्तावित समरेखण के अनुरूप है किन्तु बीच का मार्ग के0एम0एल0 में दर्शित समरेखण से भिन्न है, जिससे यह सम्भावना उत्पन्न होती है कि यदि प्रस्ताव में दर्शित समरेखण पर ही वृक्षों की गणना तथा छपान कार्य किया गया होगा तथा वास्तव में मार्ग निर्माण भिन्न समरेखण पर किया गया होगा तो वर्तमान में के0एम0एल0 में दर्शित समरेखण पर छापे गये खड़े वृक्ष अथवा ठूँठ यथावत होंगें। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा संयुक्त निरीक्षण टीम को साथ लेकर के0एम0एल0 में दर्शित समरेखण पर विभिन्न स्थानों पर जांच की गयी, किन्तु छापे गये खड़े वृक्ष नही पाये गये, ना ही वृक्षों के पातन सम्बन्धी साक्ष्य मिले।

<u>**क्रमशः पेज 02 पर**</u>

//Jaideep//

E Mail I.D.:- cfgarhwalp@gmail.comcfgarhwal555@gmail.com , Phone & Fax :- 01368-222566

निरीक्षण के दौरान मोटर मार्ग के किनारों पर कुछ स्थान पर छापे गये वृक्षों के ठूँठ पाये गये, जिससे यह प्रतीत होता है कि मार्ग निर्माण जिस समरेखण पर हुआ है उसी समरेखण पर वृक्षों की गणना, छपान तथा पातन कार्य किया गया है। इसकी पुष्टि छपान के समय उपस्थित अनुभाग अधिकारी श्री अरविन्द वन दरोगा, कनिष्ठ अभियन्ता कु0 किरन तथा अमीन श्री वेदप्रकाश द्वारा भी की गयी है। निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 पौड़ी के उपस्थित सदस्यों द्वारा बताया गया है कि मार्ग निर्माण जहां हुआ है वही वास्तविक समरेखण था तथा इसी समरेखण पर वृक्षों की छपान व पातन के पश्चात मार्ग निर्माण की कार्यवाही की गयी है। प्रस्ताव में के0एम0एल0 में दर्शित समरेखण वास्तविक नहीं है किन्तु के0एम0एल0 बनाने में तकनीकी दक्षता की कमी (लो0नि0वि0 के पत्र की छायाप्रति संलग्न) के कारण के0एम0एल0 द्वारा दर्शित समरेखण एवं वास्तविक समरेखण में भिन्नता है।

प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, पौड़ी उपरोक्त स्थल के संयुक्त निरीक्षण एवं जांच से इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 पौड़ी द्वारा वन विभाग के कर्मचारियों की उपस्थिति में क्षेत्र में जिस समरेखण को चिन्हित किया गया, उसी समरेखण पर वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा वृक्षों की गणना छपान कार्य किया गया था एवं उसी समरेखण पर वास्तव में मोटर मार्ग का निर्माण कार्य किया गया। प्रस्ताव में सम्मिलित वृक्षों के अतिरिक्त अन्य वृक्षों का पातन नही किया गया है। प्रस्ताव में के0एम0एल0 द्वारा दर्शित समरेखण में त्रुटि सम्भवतः तकनीकी दक्षता की कमी के कारण हुई, जिसको कि समयान्तर्गत प्रस्ताव में संशोधन कर उच्च स्तर को प्रेषित नहीं किया गया।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग पौड़ी द्वारा प्रेषित जांच आख्या मयः संलग्नकों सहित सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नकः—यथोपरि।

भवदीय,

(आकाश कुमार वर्मा)
वन संरक्षक
गढ़वाल वृत्त,उत्तराखण्ड,पौड़ी।

पत्रांकः— 474/12-1 दिनांकित

प्रतिलिपि— प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, पौड़ी को उनके उपरोक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(आकाश कुमार वर्मा)
वन संरक्षक
गढ़वाल वृत्त,उत्तराखण्ड,पौड़ी।

//Jaideep//